न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–383/2019

चम्पा देवी.....वादिनी

बनाम

शैयद मुन्ना आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.03.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादिनी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.09.2022 को दिये गये आवेदन की सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। वादिनी की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादिनी की ओर से दिनांक 13.09.2022 को आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। वादिनी का कहना है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण अपना बयान तहरीरी दाखिल किये है। प्रतिवादीगण के बयान तहरीरी से नया तथ्य ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद भूमि के निस्वत विभिन्न व्यक्तियों को भूमि विक्रय किया है। जिनका नाम व पता प्रतिवादीगण ने अपने बयान तहरीरी के पैरा न0–10 में दिया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण के क्रेता इस वाद के आवश्यक पक्षकार है तथा सही निर्णयन हेतु इस वाद में प्रतिवादी के रूप में उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादिनी द्वारा आवेदन दाखिल करने में जानबुझकर विलंभ नही किया गया है। वादिनी एक गवार एवं अनपढ महिला है। जिसे कानून का कोई ज्ञान नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादिनी द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करे अन्यथा वादिनी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादिनी द्वारा आवेदन के आखिरी में पक्षकार बनाये जाने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पता दिया गया है। प्रतिवादीगणों की ओर से वादिनी के आवेदन का दिनांक 23.01.2023 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि वादिनी का आवेदन तथ्य एवं कानून की दृष्टि से पोषणीय नही है। वादिनी को बहुत पूर्व से ही यह जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि बिक्री हो चुका है तथा सभी क्रेता अपने अपने बयनामा वाली भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है। वादिनी खतियानी रैयत के बाहर के खानदान की महिला है। वादिनी द्वारा जानबुझकर प्रतिवादीगणों को तंग, तबाह करने एवं वाद को लंबित रखने हेतु आवेदन दिया है। अतः आवेदन	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–383/2019

लगातार 28.03.2023	खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख अभी उपस्थिति हेतु नियत है। वादग्रस्त भूमि के क्रेतागण वाद के आवश्यक पक्षकार है तथा विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि वाद से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनकर वाद का अंतिम न्याय निर्णयन किया जाना चाहिए। जिससें वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादिनी द्वारा पूर्व में ही सावधानी बरती होती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः वादिनी का आवेदन दिनांक 13.09.2022 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वादिनी के आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रतिवादी कॉलम में जोडें। वाद दिनांक 04.05.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	